भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या - 150

दिनांक 10 फरवरी, 2026 के लिए प्रश्न

चारे की कमी

***150. श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्राः**

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की देश में चारे की लगातार हो रही कमी को दूर करने के लिए कोई दीर्घकालिक योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान चारे के उत्पादन और इसकी कमी का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विशेष रूप से केरल के डेयरी किसानों पर चारे की बढ़ती लागत के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार चारे की बढ़ती लागत को पूरा करने में सहायता करने के लिए किसानों को राजसहायता प्रदान करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा पूछे गए "चारे की कमी" संबंधी दिनांक 10.02.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 150 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ). चारे की उपलब्धता बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को संपूरित करने के लिए, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने पुनर्गठित राष्ट्रीय पशुधन मिशन (NLM) के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन को बढ़ावा देने, चारा उद्यमिता को प्रोत्साहित करने और निम्नलिखित कार्यकलापों के माध्यम से गैर-कृषि योग्य भूमि का उपयोग करने का लक्ष्य रखा है:

i) **गुणवत्तापूर्ण चारा बीज उत्पादन के लिए सहायता:** इसका मुख्य उद्देश्य प्रभावी बीज उत्पादन श्रृंखला स्थापित करना और चारा उत्पादन, संरक्षण तथा उपयोग के संबंध में राज्य के अधिकारियों और पशुपालकों की क्षमता को बढ़ाना है। इस कार्यकलाप के तहत, सरकार ब्रीडर, फाउंडेशन और प्रमाणित बीजों के उत्पादन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन (क्रमशः 250 रुपये, 150 रुपये और 100 रुपये प्रति किलोग्राम तक) प्रदान करती है, जिससे चारा बीज श्रृंखला सुदृढ़ होती है। इसके तहत, ग्वार, मक्का, ज्वार, लोबिया, बाजरा, जई, बरसीम और ल्यूसर्न के 1,41,194.60 टन गुणवत्तापूर्ण चारा बीज (53.00 टन ब्रीडर, 6230 टन फाउंडेशन और 1,34,910 टन प्रमाणित) का उत्पादन वर्ष 2021-22, 2022-23, 2023-24 और 2024-25 के दौरान किया गया है, जिसके लिए 864.61 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

ii) पशु आहार और चारा क्षेत्र में उद्यमिता: मुख्य उद्देश्य पशु आहार और चारा क्षेत्र में उद्यमिता को बढ़ावा देना और स्थानीय स्तर पर किफायती दामों पर गुणवत्तापूर्ण चारा उपलब्ध कराना है। घास (हे)/साइलेज/संपूर्ण मिश्रित राशन (TMR) ब्लॉक जैसी अवसंरचना स्थापित करने और प्रसंस्करण/ग्रेडिंग इकाइयाँ स्थापित करने के लिए 50% सब्सिडी (50 लाख रुपये तक) दी जाती है। इसके अंतर्गत 129 परियोजनाओं को अनुमोदन दिया गया, जिनकी परियोजना लागत 120.62 करोड़ रुपये है और अनुमोदित सब्सिडी 52.86 करोड़ रुपये है।

iii) चारा उत्पादन विस्तार: चारे की खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत मार्च 2024 में दो घटक शुरू किए हैं, जिनमें गैर-वन बंजर भूमि/रैंजभूमि/गैर-कृषि योग्य भूमि से चारा उत्पादन और अवक्रमित वन भूमि से चारा उत्पादन शामिल हैं।

iv) चारा-केंद्रित किसान उत्पादक संगठन (FPOs): केंद्रीय क्षेत्र योजना "10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) का गठन और प्रोत्साहन" के तहत स्थानीय उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा प्रोत्साहित 100 समर्पित चारा-सह-किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) को राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

v) तकनीकी हस्तक्षेप: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद- भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान (IGFRI) झांसी ने 28 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्य-विशिष्ट चारा योजनाएं विकसित की हैं, जिनमें क्षेत्र में हरे और सूखे चारे की कमी को दूर करने के लिए अपनाई जाने वाली क्षेत्र-विशिष्ट रणनीति शामिल है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को तदनुसार अपनी चारा संसाधन विकास योजनाएं तैयार करने की सलाह दी गई है।

vi) **राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में टास्क फोर्स का गठन:** पशुपालन और डेयरी विभाग, भारत सरकार ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से चारा उत्पादन क्षेत्र बढ़ाने और राज्य तथा केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं में समन्वय स्थापित करने हेतु चारा टास्क फोर्स गठित करने का अनुरोध किया है। इन प्रयासों से संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में चारे की उपलब्धता बढ़ेगी।

vii) पशुपालन अवसंरचना विकास निधि: पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (AHIDF) व्यक्तिगत उद्यमियों, निजी कंपनियों, एमएसएमई, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs), धारा 8 कंपनियों और डेयरी सहकारी समितियों को पशु चारा संयंत्रों सहित विभिन्न अवसंरचना कार्यकलापों की स्थापना के लिए 3% ब्याज सबवेंशन के साथ निवेश को प्रोत्साहित करती है, जिसके तहत 146 लाख मीट्रिक टन (LMT) प्रति वर्ष की क्षमता वाले 204 पशु आहार संयंत्रों को 3973 करोड़ रुपये के निवेश के साथ अनुमोदित किया गया है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद - भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी द्वारा प्रदान किए गए राज्यवार चारा उत्पादन और कमी के आंकड़े अनुबंध में दिए गए हैं।

केरल सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राज्य ने सब्सिडी वाले हरे चारे, साइलेज, सूखी घास (हे) और कुल मिश्रित राशन (TMR) उपलब्ध कराकर तथा डेयरी किसानों को फॉडर स्लिप्स उपलब्ध कराकर दूध उत्पादन की लागत को कम करने के लिए सभी संभव उपाय किए हैं। केरल सरकार डेयरी विकास विभाग के माध्यम से चारा खेती के लिए 8.5 करोड़ रुपये का वार्षिक बजट आवंटित कर रही है और राज्य योजना के अंतर्गत कुडुम्बश्री से जुड़ी चारागाह योजना और चारा प्रदर्शन इकाइयों की स्थापना के लिए 200.00 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।

****

अनुबंध

दिनांक 10.02.2026 के लिए नियत लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या 150 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

हजार टन में

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**हरे चारे की कुल उपलब्धता**	**हरे चारे की कुल आवश्यकता**	**प्रतिशत उपलब्धता**	**घाटा प्रतिशत (-)/ अधिशेष (+)**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	115.4	144.1	80.1	-19.90
चंडीगढ़	1.9	87.4	2.1	-97.90
दादरा और नगर हवेली	26.2	101.2	25.9	-74.10
दमन और दीव	2.1	6.6	32.5	-67.50
लक्षद्वीप	2.4	23.2	10.5	-89.50
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	167.4	869.5	19.3	-80.70
पुदुचेरी	18.8	170.9	11	-89.00
अरुणाचल प्रदेश	1634.8	1387.8	117.8	17.80
असम	17988.1	22735.7	79.1	-20.90
मणिपुर	445.4	759.4	58.6	-41.40
मेघालय	1037.6	1873.7	55.4	-44.60
मिजोरम	272.8	97.3	280.3	180.30
नागालैंड	577.6	692.6	83.4	-16.60
त्रिपुरा	805.2	1916.1	42	-58.00
सिक्किम	190.1	369.6	51.5	-48.50
हिमाचल प्रदेश	12060.6	8383.3	143.9	43.90
जम्मू और कश्मीर	5261.2	11194.4	47	-53.00
उत्तराखंड	3819.2	8580.3	44.5	-55.50
बिहार	35399.1	49406.6	71.6	-28.40
झारखंड	7856.8	24358.6	32.3	-67.70
ओडिशा	15277.7	27700.6	55.2	-44.80
पश्चिम बंगाल	22211.7	35915.8	61.8	-38.20
गुजरात	60720.3	58371.6	104.00	4.00
राजस्थान	54504.3	80980.5	67.3	-32.70
गोवा	163.2	248.1	65.8	-34.20
महाराष्ट्र	69700	57992.1	120.2	20.20
हरियाणा	46841.1	24074.5	194.6	94.60
पंजाब	67234.08	24873.3	270.3	170.30
छत्तीसगढ	16339	24430.8	66.9	-33.10
मध्य प्रदेश	99184.5	67264.6	147.5	47.50
उत्तर प्रदेश	114499.5	149959.2	76.4	-23.60
आंध्र प्रदेश	26628.8	71799.5	37.1	-62.90
कर्नाटक	31879.9	38959.3	81.8	-18.20
केरल	3591.6	3761.3	95.5	-4.50
तमिलनाडु	17735.4	27699.8	64	-36.00